बाबूलाल बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	निर्णय
25.2.21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. सरकार पेशकार अनुपस्थित। पत्रावली मिसिल की जाती है निर्णय संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खाता सं. 59 खसरा संख्या 219 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म जमीन गै.मु. चाह वाके ग्राम इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है. प्रार्थी की कृषि भूमि के एक तरफ सडक व तीन तरफ सिवायचक भूमि स्थित है। प्रार्थी द्वारा स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि का दिनांक 24-11-2017 को सीमाज्ञान करवाया था। कि पडोसी अतिक्रमी प्रार्थी की कृषि भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते है। और अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 219 रकबा 0.08 हैक्टर की सीमाओं पर पत्थर गढी करवाये जाने आदेश फरमाये जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिश तलब किया गया अप्रार्थी द्वारा कोई जबाब पेश नही करने पर जबाब बन्द कर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 24-11-2017 से स्पष्ट की प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया। अप्रार्थी द्वारा खण्डनात्मक जबाब प्रार्थना पत्र पेश

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बून्दी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं करने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 219 रकबा 0.08 हैक्टर वाके ग्राम इन्द्रगढ़ में स्थित भूमि का किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो सीमाओं का निर्धारण करते हुए सीमा चिन्ह अंकित करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय आज दिनांक 25-2-2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी नाखेरी (बून्दी)	